पूरी बेंच

विविध नागरिक

समक्ष एस.एस. संधावालिया, प्रेम चंद जैन, राजेंद्र नाथ मित्तल, ए.एस. बैंस और हरबंस लाल, जे.जे.

नरेंद्र सिंह राव,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1977 की सिविल रिट संख्या 100

13 दिसंबर 1977.

पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 पंजाब द्वारा संशोधित, सुपीरियर न्यायिक सेवा (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम 1977 नियम 8 और 12 - क्या एक दूसरे से स्वतंत्र - घूर्णी प्रणाली - क्या कोटा नियम में पढ़ा जा सकता है।

माना गया कि पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 1963 का नियम 8 सेवा में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करता है और उप नियम (2) के तहत यह प्रावधान है कि कैडर पदों की कुल संख्या में से 2/3 पर पदोन्नत अधिकारी तैनात होंगे और 1/3 सीधी भर्ती द्वारा। नियम 12 के तहत, यह प्रावधान है कि सेवा के मूल सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, चाहे वे सीधी भर्ती से आए हों या पदोन्नत अधिकारी हों, उनकी पुष्टि की संबंधित तारीखों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। जब नियम 8 और 12 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कैडर पदों पर 2/3 पदोन्नत अधिकारी और 1/3 सीधी भर्ती वाले अधिकारी होंगे और परस्पर वरिष्ठता उनकी संबंधित तारीखों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। पुष्टि. नियम 8 को पढ़ने से पता चलता है कि नियम बनाने वालों का इरादा केवल कोटा प्रदान करना था;'' कैडर पदों पर सीधी भर्ती के लिए कोई संकेत नहीं दिया गया है कि पुष्टि के समय या वरिष्ठता तय करने के लिए रोटेशनल प्रणाली का पालन किया जाना है। इसलिए नियम 8 और 12 एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और नियमों के नियम 8 के तहत प्रदान किए गए कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को निहित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है और सुपीरियर न्यायिक सेवा का सदस्य नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1972, 1 (अनुलग्नक पी/5), जिसके द्वारा पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है। 1 अप्रैल, 1910 से प्रभाव से, अमान्य घोषित किया जाएगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के रूप में रद्द कर दिया जाएगा और रिट याचिका में प्रस्तुत अन्य सभी आधारों पर भी और आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट (अनुलग्नक) पी/एलएल) दिनांक 22 नवंबर, 1976, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को उसके नुकसान के लिए बदल दिया गया है, जारी किया जाए और] आगे प्रार्थना की जाए (कि याचिकाकर्ता को सभी से वरिष्ठ घोषित किया जाए) उत्तरदाताओं और उन्हें वरिष्ठता सूची में श्री जगमोहन लाल टंडन, प्रतिवादी क्रमांक 3 से ऊपर रखा गया है।

कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे, जारी किया जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विवादित संशोधित नियमों का संचालन हो, (अनुलग्नक पी/ 5) और साथ ही उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय (अनुलग्नक पी/II) को निलंबित किया जाए और इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी प्रतिवादी ए संख्या 3 से 8 को चयन ग्रेड देने पर रोक लगाई जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि ऐसे अन्य मामले के न्याय के लिए आवश्यक आकस्मिक या पूरक राहत भी याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए और इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जैसा कि यह उचित और उचित हो और इसके अलावा की लागत भी हो। याचिकाकर्ता को भी याचिका की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील कुलदीप सिंह, वी.के. बाली, एम.एस. जैन और जे.एल. गुप्ता, वकील।

एस. सी. मोहंता महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ ए. एस. नेहरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और नौबत सिंह, डी.ए.जी.

सी. डी. दीवान, वकील, प्रतिवादी 3 और 7 के लिए।

आर.एस. बिंद्रा, वकील, उत्तरदाताओं 3 और 8 के लिए।

निर्णय प्रेम चंद जैन, जे.

1. श्री नरेंद्र सिंह राव, प्रत्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश, अंबाला (अब हिसार में तैनात) ने कला के तहत यह याचिका दायर की है। भारत के संविधान की धारा 226 और 227, पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1972 (इसके बाद संशोधन नियम के रूप में संदर्भित) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए (याचिका के अनुलग्नक पी. 5 की प्रतिलिपि बनाएँ), द्वारा जिसे पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1963 (इसके बाद सेवा रूल्स के रूप में संदर्भित) को 1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि इस न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। 22 नवंबर, 1976 (याचिका के अनुलग्नक पी. 11 की प्रति) जिसके

द्वारा याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को उसके नुकसान के लिए बदल दिया गया था। एक और प्रार्थना यह भी की गई है कि याचिकाकर्ता को सभी निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ घोषित किया जाए और वरिष्ठता सूची में श्री जगमोहन लाल टंडन प्रतिवादी नंबर 3 से ऊपर रखा जाए।

2. हमारे सामने उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए, याचिका में बताए गए कुछ भौतिक तथ्यों को दोहराना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:--

3. याचिकाकर्ता वर्तमान में मूल स्थायी के रूप में हरियाणा राज्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यरत है। सेवा नियमों के अनुसार, केवल जिला/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानूनी सलाहकार और सरकार के सचिव के स्थायी पद ही सुपीरियर न्यायिक सेवा का गठन करते हैं जैसा कि सेवा नियमों के परिशिष्ट 'ए' में दिया गया है। सेवा में भर्ती आर. 8 द्वारा विनियमित होती है, जो इस प्रकार है:--

"8--सेवा में भर्ती (1) सेवा में भर्ती की जायेगी :--

(i) पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा।

(2) कैडर पदों की कुल संख्या में से दो-तिहाई पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे। बशर्ते कि इस उप-नियम में कोई भी बात प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के किसी सदस्य की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी भी पद पर स्थानापन्न नियुक्ति को तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि सीधी भर्ती से नियुक्त न किया जाए।

4. उपरोक्त नियम के अनुसार, सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में दो-तिहाई पद पदोन्नति के माध्यम से और शेष एक-तिहाई सीधी भर्ती के माध्यम से दाखिल किए जाने हैं। जिस तारीख को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, यानी 1 नवंबर, 1966 को, सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस, हरियाणा में सात स्थायी पद शामिल थे। इन पदों में से दो पद सीधी भर्ती वाले थे जबकि शेष पांच पद पदोन्नत लोगों द्वारा रखे गए थे। सीधी भर्ती के पद 21 अगस्त 1969 से 7 जुलाई 1970 तक खाली रहे, क्योंकि उन पदों के पदाधिकारियों को इस न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया था और स्थायी न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति पर, पद रिक्त हो गए थे।

5. 5 जनवरी, 1970 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री न्यायमूर्ति एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) की स्थायी नियुक्ति पर, मई में जिला और सत्र न्यायाधीश के उस स्थायी पद पर सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। , 1970। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और अंततः उसे 1 जुलाई, 1970 के आदेश के तहत परिवीक्षा पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया। उस आदेश के

अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 7 जुलाई, 1970 को करनाल में कार्यभार संभाला और उसे नियुक्त किया गया। तब से सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में सेवारत हैं।

6. याचिकाकर्ता ने थोड़ा इतिहास खोजा है कि कैसे कुछ न्यायिक अधिकारियों (पदोन्नति) ने सेवा नियमों में संशोधन कराने का प्रयास किया था क्योंकि उन्हें आशंका थी कि सुपीरियर न्यायिक सेवा में शामिल होने के बाद याचिकाकर्ता उन सभी से वरिष्ठ हो जाएगा। 7 जुलाई, 1970 को एक स्थायी पद के विरुद्ध, और ये अधिकारी अंततः राज्य सरकार को अपने लाभ के लिए और याचिकाकर्ता के नुकसान के लिए सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए मनाने में सफल रहे। याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के विरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमों में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से सेवा नियमों में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। 1970, केवल याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर, याचिकाकर्ता ने बहुत विस्तार से विवरण दिया है कि जब संशोधन नियमों के तहत शरण लेने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं तो उसे याचिका दायर करने के लिए कैसे मजबूर किया गया, जिस रिट याचिका को अंततः सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा अनुमति दी गई थी। इस विवाद से जुड़े सभी तथ्यों पर ध्यान देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। संशोधन नियमों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सूची में प्रतिवादी संख्या 8 से नीचे रखा गया, जबकि उनके अनुसार, उसे प्रतिवादी संख्या 3 से भी वरिष्ठ दिखाया जाना चाहिए था। वरिष्ठता प्रतिवादी संख्या 8 से नीचे है। इस न्यायालय द्वारा 22 नवंबर, 1976 के पत्र द्वारा तय किया गया था, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर करना आवश्यक हो गया।

7. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सरकार में बदलाव हुआ और नई सरकार ने संशोधन नियमों द्वारा लाए गए संशोधनों को पूर्ववत करने का निर्णय लिया और अंततः, 2 सितंबर, 1977 की अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम 1977 (इसके बाद 1977 नियम के रूप में संदर्भित) को अस्तित्व में लाया गया। 1977 के नियमों के लागू होने के बाद, याचिकाकर्ता का दावा कि उसे उत्तरदाताओं संख्या 4 से 8 तक वरिष्ठ घोषित किया जाए और प्रार्थना है कि इस न्यायालय के 22 नवंबर, 1976 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए (अनुलग्नक) पृष्ठ 11) जारी किया जाना निरर्थक हो गया है क्योंकि इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता वास्तव में इन सभी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ हो गया है।

8. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के गुणों की जांच करने से पहले, मामले में शामिल मुद्दे की उचित समझ के लिए, सुपीरियर न्यायिक सेवा से संबंधित प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में बताना आवश्यक होगा। जिसका संदर्भ पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान दिया गया था और जो निम्नानुसार पढ़ा गया:--

"नियम 2:--परिभाषाएँ।--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(1)..... ....

(2) 'कैडर पोस्ट' का तात्पर्य सेवा में स्थायी पद से है;

(3) अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ 'सीधी भर्ती' का अर्थ एक व्यक्ति है:--

(ए) जो सेवा में नियुक्ति के समय पहले से ही न्यायिक सेवा में नहीं था; या

(बी) जो नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया है;

(4) एक्स-कैडर पोस्ट' का अर्थ कैडर पोस्ट के समान रैंक का अस्थायी पद है;

(5)..... ....

(6) 'सेवा के सदस्य' का अर्थ एक व्यक्ति है।

(ए) जो, इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले, एक कैडर पद धारण करता है, चाहे स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर, या परिवीक्षा पर; या

(बी) जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कैडर पद पर नियुक्त किया गया है;

(7)..... ....

नियम 8: निर्णय के पहले भाग में पहले से ही पुन: प्रस्तुत किया गया है, नियम 12: वरिष्ठता। - सेवा के मूल सदस्यों की वरिष्ठता, चाहे वे सीधे भर्ती किए गए हों या पदोन्नत अधिकारी हों, संबंधित तिथियों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। उनकी पुष्टि;

बशर्ते कि पुष्टिकरण की समान तिथि वाले सेवा के मूल सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:--

(i) सीधी भर्ती के मामले में, उम्र में बड़ा व्यक्ति छोटे से वरिष्ठ होगा;

(बी) पदोन्नत अधिकारियों के मामले में, पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में वरिष्ठता के अनुसार, जैसा कि उनकी पुष्टि से ठीक पहले था;

(ii) पदोन्नत अधिकारियों और सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के मामले में, उम्र में बड़ा व्यक्ति छोटे से वरिष्ठ होगा।"

9. एकमात्र दावा जो अब अस्तित्व में है और जिस पर निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता सुपीरियर न्यायिक सेवा में सबसे वरिष्ठ अधिकारी है?

10. इस प्रकार, सेवा में वरिष्ठता का परिचित प्रश्न उठाया गया है, प्रतिस्पर्धी व्यक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्ति है।

11. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह प्रतिवादी संख्या 3 से वरिष्ठ था, इस आधार पर कि जिस रिक्ति पर प्रतिवादी संख्या 3 को नियुक्त किया गया था, वह सीधी भर्ती के लिए आरक्षित थी, उस रिक्ति के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 नहीं कर सका। कानूनी रूप से पुष्टि की जानी चाहिए, कि वरिष्ठता नियमों के अनुसार, प्रत्येक रिक्ति को निर्धारित किया जाना था, कि सीधी भर्ती के लिए कोटा नियम के अनुसार जो रिक्ति निर्धारित की जानी थी, एक पदोन्नत व्यक्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती थी और वहां कोटा नियम में एक निहित घूर्णी प्रणाली थी जिसके द्वारा केवल याचिकाकर्ता की पुष्टि के समय, कोटा के अनुसार वरिष्ठता तय की जानी थी। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों के समर्थन में, उनके विद्वान वकील, श्री कुलदीप सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा किया, जिनका मैं प्रासंगिक समय पर संदर्भ दूंगा।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री चेतन दास दीवान द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 8 और 12 को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, कि कोटा प्रदान करने वाले नियम का पुष्टिकरण और निकास से कोई संबंध नहीं है। भर्ती के समय ही, नियमों में रोटेशनल प्रणाली प्रदान नहीं की गई है और इसे वरिष्ठता के प्रश्न के निर्धारण के लिए लागू नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों के लिए याचिका में कोई आधार नहीं रखा गया है।

13. पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका में विश्वसनीयता का अभाव है और इसमें कोई दम नहीं है।

14. जिस समय याचिकाकर्ता को सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में भर्ती किया गया था, उस समय कैडर में सात स्थायी पद थे। इन पदों में से पांच पद पदोन्नत लोगों को, दो पद पदोन्नत लोगों को और दो पद सीधी भर्ती के लिए जाने थे। सीधी भर्ती के लिए बनाए गए दो पदों पर श्री एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) और श्री एससी मितल (अब श्री जस्टिस एससी मितल) कार्यरत थे। श्री एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) को 28 मई, 1968 को इस न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री एससी मितल (अब श्री न्यायमूर्ति एससी मितल) को 21 अगस्त 1969 को इस न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) और श्री एससी मितल (अब श्री जस्टिस एससी मितल) की इस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर ही सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियां दाखिल की जा सकती हैं। और, यही कारण

है कि सीधी भर्ती के कोटे से संबंधित ये दोनों पद खाली रह गए और 21 अगस्त 1969 से 7 जुलाई 1970 तक सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (हरियाणा) में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई। 5 जनवरी 1970 को, श्रीमान न्यायमूर्ति एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई, जिसके परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा दायर की जाने वाली एक रिक्ति खाली हो गई और इस रिक्ति के विरुद्ध याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया। 7 जुलाई, 1970 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

15. जैसा कि श्री कुलदीप सिंह की दलीलों से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता द्वारा जिस आधार पर वरिष्ठता का दावा किया जा रहा है, वह 5 जनवरी को श्री न्यायमूर्ति एडी कोशल (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) की पुष्टि पर है। 1970, रिक्ति केवल सीधी भर्ती से भरी जा सकती थी और इस रिक्ति के विरुद्ध किसी पदोन्नत व्यक्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती थी और 5 जनवरी 1970 के बाद सेवा में किसी भी पदोन्नत व्यक्ति की पुष्टि का कोई परिणाम नहीं होगा और न ही इससे किसी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता उस व्यक्ति से ऊपर वरिष्ठता का दावा कर रहा है जिसकी पुष्टि 5 जनवरी 1970 के बाद हुई थी। पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद मैं खुद को श्री कुलदीप द्वारा उठाए गए विवाद से सहमत होने में असमर्थ पाता हूं। , याचिकाकर्ता के विद्वान वकील।

16. प्रारंभ में यह देखा जा सकता है कि यह पार्टियों का स्वीकृत मामला था कि किसी भी समय कोटा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह का प्रयास हमें कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को पढ़ने के लिए राजी करना था जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वरिष्ठता तय की जानी चाहिए। प्रासंगिक नियमों को पढ़ने पर यह दृष्टिकोण न तो संभव है और न ही स्वीकार्य है। आर. 8 सेवा में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करता है और उप-नियम (2) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि कैडर पदों की कुल संख्या में से, 2/3 पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और 1/3 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आर. 12 के तहत, यह प्रावधान है कि सेवा के मूल सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, चाहे वे सीधी भर्ती से आए हों या पदोन्नत अधिकारी हों, उनकी पुष्टि की संबंधित तारीखों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। जब आर.आर. 8 और 12 को एक साथ पढ़ा जाता है, इससे पता चलता है कि कैडर पदों पर 2/3 पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और 1/3 सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और परस्पर वरिष्ठता उनकी पुष्टि की संबंधित तिथियों के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। आर. 8 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि फ्रेमर्स का इरादा केवल कैडर पदों में सीधी भर्ती के लिए कोटा प्रदान करना था और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि पुष्टि के समय रोटेशनल प्रणाली का पालन किया जाना है या वरिष्ठता निर्धारण हेतु. प्रतिवादी संख्या 3 को दिल्ली सुपीरियर न्यायिक सेवा में श्री गुलशन राय लूथरा की नियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के विरुद्ध 17 मई, 1971 से सेवा में पुष्टि की गई थी। उस समय, याचिकाकर्ता की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि वह अभी भी परिवीक्षाधीन था। श्री टंडन की पुष्टि पर, सेवा में पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने वाले पदों का कोटा पार नहीं किया गया था। ऐसा हो सकता है कि

यदि किसी निश्चित समय पर सीधी भर्ती उपलब्ध न हो या उनके द्वारा कोटा के तहत नियुक्त किए जाने वाले पद खाली रह जाएं तो आर. 8 के तहत प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य की स्थानापन्न नियुक्ति तब तक की जा सकती है। जिस समय सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और सीधी भर्ती से नियुक्त होने पर स्थानापन्न पदोन्नत व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है, लेकिन मैंने अभी तक यह तर्क नहीं सुना है कि यद्यपि सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्ति की बाद में पुष्टि कर दी जाती है, फिर भी उसे रिक्ति के विरुद्ध पुष्टि किया गया माना जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा जारी किया गया जिसके विरुद्ध एक पदोन्नत व्यक्ति की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है।

17. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 17 मई, 1971 से प्रतिवादी संख्या 3 की पुष्टि करने वाले आदेश को कभी चुनौती नहीं दी। जैसा कि याचिका में दिए गए कथनों के अर्थ से स्पष्ट होगा, याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि अगली कड़ी के रूप में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन नियमों की घोषणा के बाद, याचिकाकर्ता की वरिष्ठता प्रतिवादी संख्या 8 से भी नीचे आ गई। उनकी उस शिकायत को राज्य सरकार ने स्वयं ही दूर कर दिया है, जो कि गलत किया गया था। संशोधन नियमों की घोषणा पर, प्रतिवादी संख्या 3 को 17 मई, 1971 से पुष्टि की गई थी और उनकी पुष्टि के समय याचिकाकर्ता अभी भी परिवीक्षाधीन था। आर.10 परिवीक्षा से संबंधित है और निम्नलिखित शर्तों में है:--

"10. परिवीक्षा:--(1) सेवा में सीधी भर्ती वाले व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कुल अवधि तीन से अधिक न हो। साल।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, किसी कैडर-पद पर सीधी भर्ती की पुष्टि उस तारीख से कर सकते हैं, जो उस तारीख से पहले न हो, जिस दिन वह परिवीक्षा की अवधि पूरी करता है। .

(3) यदि राज्यपाल की राय में, सीधी भर्ती वाले व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है, तो वह परिवीक्षा अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान किसी भी समय, परामर्श से कर सकता है। उच्च न्यायालय, बिना कोई कारण बताए, ऐसी सीधी भर्ती की सेवा से छूट देता है।"

18. आर. 10 के उप-नियम (2) के तहत, सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को कैडर पद पर उस तारीख से पहले की तारीख से पुष्टि की जाती है, जिस तारीख को वह परिवीक्षा की अवधि पूरी करता है। इस उप-नियम के तहत याचिकाकर्ता को 17 मई, 1971 से स्थायीकरण मांगने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह अभी भी परिवीक्षाधीन था। दो साल की परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन पर, याचिकाकर्ता ने कैडर पद पर पुष्टि पाने का अधिकार अर्जित कर लिया था; यहां तक कि सीधी भर्ती के मामले में भी अधिकार के तौर पर पुष्टि की मांग नहीं की जा

सकती। किसी दिए गए मामले में परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद स्थायीकरण हो सकता है। यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे काफी विसंगतिपूर्ण और भ्रमित करने वाला परिणाम आने की संभावना है जो उस उदाहरण से स्पष्ट होगा जिसे मैं उद्धृत करने जा रहा हूं। किसी दिए गए मामले में सीधी भर्ती की एक रिक्ति वर्ष 1968 में खाली हो जाती है, लेकिन उस पद पर चयन किसी न किसी कारण से पांच साल की अवधि तक नहीं किया जाता है। पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान, उनके कोटे में कुछ पदोन्नत लोगों की पुष्टि हो जाती है, जबकि सीधी भर्ती की रिक्ति के विरुद्ध एक पदोन्नत व्यक्ति की स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के बाद सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसे स्थायी कर दिया जाता है। वह किसी भी तरह से यह नहीं कह सकते कि सीधी भर्ती की जो रिक्ति वर्ष 1968 में रिक्त हुई थी और जिस पदोन्नत व्यक्ति को उस रिक्ति के विरुद्ध स्थायी किया गया था, उसे उससे कनिष्ठ माना जाना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया था, नियम के निर्माताओं का इरादा केवल सीधी भर्ती के लिए कैडर पदों में कोटा प्रदान करना था और यह कभी भी इरादा नहीं था कि कोटा में रोटेशनल प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। श्री कुलदीप सिंह ने यह तर्क देने की कोशिश की कि वह नियमों में जो व्याख्या करना चाहते हैं, उसके अलावा किसी भी व्याख्या के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती करने वालों को बड़ी कठिनाई होगी, खासकर जब नियुक्ति उस समय नहीं की जाती है जब सीधी भर्ती की कोई रिक्ति खाली हो जाती है। . ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी मामले की कठिनाई पर एक पक्ष या दूसरे पक्ष के सभी तर्कों को तब खारिज कर दिया जाना चाहिए जब हम यह बता रहे हों कि कानून क्या है, क्योंकि ऐसे तर्क केवल कानून में दिखावा मात्र हैं, और यदि इसमें शामिल किया जाता है, जल्द ही इसके हर सिद्धांत को निगल जाएगा।

19. न्यायिक निर्णय जो मेरे विचार का समर्थन करता है और प्रतिवादी की मदद करता है, को एनके चौहान बनाम गुजरात राज्य , एआईआर 1977 एससी 251: (1977 लैब आईसी 38) के मामले में संदर्भित किया जा सकता है। इस मामले में, 1963 में और उसके बाद सीधी भर्ती से आने वाले सात डिप्टी कलेक्टरों ने, अपने कई समकक्षों, पूर्व मामलतदारों, जिनकी पदोन्नति डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई थी, से पदक्रम सूची में आगे होने का दावा किया, जो 1960 के दशक में हुआ था। --63. सिविल सूची में इन युवा पदाधिकारियों को वरिष्ठ होने का दर्जा मुख्य रूप से 30-7-1959 के सरकार के मूल संकल्प पर स्थापित किया गया था, जिसमें तत्कालीन बॉम्बे राज्य द्वारा कोटा के आधार पर डिप्टी कलेक्टर कैडर में भर्ती को विनियमित किया गया था। बंबई से अलग होकर 1 मई, 1960 को गठित गुजरात राज्य ने इस प्रणाली को जारी रखा। 1959-62 के दौरान, कोई सीधी भर्ती नहीं की गई लेकिन मामलातदारों की डिप्टी कलेक्टर के रूप में कई पदोन्नतियाँ की गईं। उसके बाद, अर्थात् 1963 में और बाद में, सीधी भर्ती की नियुक्तियाँ की गईं, जिन्हें तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में 1960-63 विंटेज के पहले पदोन्नत लोगों की तुलना में कोई वरिष्ठता नहीं दी गई थी। सीधे भर्ती किए गए लोगों का पदोन्नति सूची में

आगे रहने का दावा मुख्य रूप से कोटा आधार अपनाने वाले सरकार के 30 जुलाई, 1959 के मूल संकल्प पर आधारित था। चाहे जो भी हो या वैधानिक, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने माना कि गुजरात राज्य संकल्प से बंधा हुआ है। पदोन्नत लोगों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। मामले का निर्णय करते समय, उनके आधिपत्य द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक इस प्रकार है (एलआईसी के पृष्ठ 44 पर):--

"मान लीजिए कि ऊपर बताए अनुसार 50:50 का अनुपात होना चाहिए, इसे कैसे तैयार किया जाएगा? सीधी भर्ती के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर अनिवार्य रूप से पहले, तीसरे, पांचवें और इसी तरह की रिक्तियों को या एक पात्रता के रूप में प्राप्त करना होगा किसी विशेष वर्ष या अन्य पारंपरिक अवधि में कैडर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का आधा? फिर, क्या यह "सरकार की ओर से सीधी भर्ती के लिए आवंटित सभी रिक्तियों को खाली रखने के लिए एक अनिवार्य दायित्व दर्शाता है ताकि उन्हें भर्ती किया जा सके" पूर्वव्यापी प्रभावों के साथ बाद के वर्षों में भरे जाने के लिए उपलब्ध है और, यदि ऐसे निर्धारित पद, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के लिए, नियमित रूप से भरे जाते हैं, तदर्थ नहीं, मूल रिक्तियों में, चयन और पदोन्नति द्वारा पूर्व-कैडर पद नहीं, तो उन्हें अवश्य भरना चाहिए क्या इसे सीधे भर्ती किए गए लोगों द्वारा अनंतिम रूप से भरा हुआ माना जाएगा जो लंबे समय बाद आ सकते हैं? और परिणामस्वरूप, वरिष्ठता की गिनती में, उनके (यानी, सीधे भर्ती किए गए) प्रवेश की तारीखों को वास्तव में कार्यवाहक प्रमोटी डिप्टी कलेक्टरों से पहले की तारीखों के रूप में माना जाता है, एक प्रकार की कानूनी कल्पना को आयात करके कि सीधे भर्ती किए गए लोगों को उस तारीख से सेवा की गणना करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब सीधी भर्ती के लिए पात्र रिक्ति निकली?"

पूरे मामले पर विचार करने के बाद, उपरोक्त प्रश्न पर, रिपोर्ट के पैरा 32(3) में पृष्ठ 262 पर, उनके आधिपत्य ने इस प्रकार देखा (लैब आईसी के पृष्ठ 49 पर):--

"कोटा नियम, अनिवार्य रूप से, रोटा नियम के आवेदन को लागू नहीं करता है। इस स्थिति का प्रभाव यह है कि यदि 1960 के बाद के वर्षों में पर्याप्त संख्या में सीधी भर्ती नहीं हुई है, तो उनके और उन कमी वाले अनुपात को भरने के लिए रिक्तियों को पदोन्नत लोगों द्वारा भरा गया है, बाद में सीधे भर्ती किए गए लोग उस समय से सेवा में वरिष्ठता के लिए नियुक्ति की 'मानी गई' तारीखों का दावा नहीं कर सकते हैं, जब रोटा या टर्न के अनुसार, सीधी भर्ती की रिक्ति उत्पन्न हुई। वरिष्ठता की लंबाई पर निर्भर करेगी निरंतर स्थानापन्न सेवा और खुले बाजार से बाद में आने वाली आवक से परेशान नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि किसी भी अतिरिक्त पदोन्नतियों को नीचे धकेलना पड़ सकता है जैसा कि पहले संकेत दिया गया है।"

इस प्रस्ताव पर कि क्या कोटा रोटा के साथ इतना जुड़ा हुआ है, कृष्णा अय्यर, जे. ने रिपोर्ट के पैरा 30 में इस प्रकार देखा:--

"यहाँ फिर से, हमारे सामने उद्धृत इस न्यायालय के हाल के निर्णयों को विशेष सम्मान देते हुए, हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि 'कोटा' 'रोटा' के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, कि जहां पूर्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, बाद वाले को निहित रूप से अंकित किया गया है। आइए थोड़ा तर्क करें। एक कोटा आवश्यक रूप से भर्ती के एक से अधिक स्रोतों को निर्धारित करता है। लेकिन क्या यह उस तरीके की मांग करता है जिसमें भर्ती के बाद प्रत्येक स्रोत को प्रदान किया जाना है, खासकर वरिष्ठता के मामले में? कोटा स्वतंत्र नहीं हो सकता रोटा? आप प्रत्येक श्रेणी के लिए एक कोटा तय कर सकते हैं लेकिन वह प्रविष्टि तय करता है। कोटा पद्धति स्वयं कई रूप ले सकती है - रिक्ति-वार अनुपात, कैडर संरचना-वार अनुपात, अवधि-वार या संख्या-वार विनियमन। असंख्य तरीकों की कल्पना की जा सकती है। प्रवेश पर अधिकारियों की नियुक्ति का पता लगाने के लिए घूर्णी या रोस्टर प्रणाली आमतौर पर अपनाई जाने वाली और आसानी से समझी जाने वाली विधि है। यह कोड में एकमात्र तरीका नहीं है और इसे अपरिहार्य परिणाम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि इतना ही तार्किक है तो यहां जो किया गया है वह कानूनी है। निःसंदेह, श्री गर्ग की आलोचना यह है कि वरिष्ठता के प्रावधान के बिना मात्र 'कोटा' व्यवहार्य नहीं है और, यदि नियम में और कुछ नहीं मिलता है, तो कोटा को प्रत्येक पद पर लागू किया जाना चाहिए जब भी इसे भरा जाना हो। यदि प्रशासन की आवश्यकताएं रिक्ति में त्वरित पोस्टिंग की मांग करती हैं और एक स्रोत (यहां, सीधी भर्ती) कुछ समय के लिए बंद हो गया है, तो उचित तरीका यह है कि सीधी भर्ती की प्रतीक्षा की जाए और उसे कोटा रिक्ति के अनुसार प्रवेश की काल्पनिक तारीख दी जाए। और कामचलाऊ पदोन्नति के माध्यम से सरकार के पहियों को चालू रखने का प्रबंधन करते हैं, अस्थायी अधिभोग से प्राप्त अधिकारों के ऐसे तदर्थियों को स्पष्ट रूप से छीन लेते हैं। हमने पहले उसी सबमिशन को थोड़े अलग रूप में निपटाया है और इसे खारिज कर दिया है। इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जाना बाकी है ".

20. मेरे विचार से उपर्युक्त मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि नियमों में रोटेशनल प्रणाली प्रदान नहीं की गई है, तो उसे कोटा नियम में नहीं पढ़ा जा सकता है। एके सुब्रमण बनाम भारत संघ एआईआर 1975 एससी 483: (1975 लैब आईसी 354) में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया गया था , श्री चेतन दास दीवान ने अपने तर्क के समर्थन में कहा था कि कोटा नियम लागू किया जाएगा। प्रारंभिक भर्ती का समय. रिपोर्ट के पैरा 29 में निष्कर्षों का सारांश देते हुए बिंदु संख्या 3 को इस प्रकार तैयार किया गया है:--

"(3) कोटा नियम कार्यकारी अभियंता के ग्रेड पर स्थानापन्न क्षमता में प्रारंभिक भर्ती के समय लागू किया जाएगा, न कि पुष्टि के समय"।

अब मैं उन निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता हूं जिन पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने भरोसा जताया था, जो इस प्रकार हैं:--

(1) एसजी जयसिंघानी बनाम भारत संघ , एआईआर 1967 एससी 1427; (2) बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत संघ , (1973) 1 सर्व एलआर 115: (एआईआर 1972 एससी 2627) और (3) बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत संघ (1974) 2 सर्व एलआर 136: 1974 लैब आईसी 1090).

21. उपरोक्त निर्णयों पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि चौहान के मामले में (सुप्रा) उनके आधिपत्य ने इन सभी निर्णयों का संदर्भ दिया है और उन्हें अलग किया है।

22. अन्य दो निर्णय जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, उनमें से एक वीबी बादामी बनाम मैसूर राज्य , (1975) 2 सर्व एलआर 295 (कांत) में कर्नाटक उच्च न्यायालय का और दूसरा श्री बलजीत सिंह संधू बनाम इस न्यायालय का है। श्री गुरदीप सिंह, पत्र पेटेंट अपील संख्या 560/1974, 3 नवंबर 1976 को निर्णय लिया गया: (1977 एसएलडब्ल्यूआर 334 में रिपोर्ट किया गया)(पुंज)। फिर से ये निर्णय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई सहायता नहीं करते हैं कि कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को निहित रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

23. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरा मानना है कि नियम 8 और 12 एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, नियमों के आर. 8 के तहत प्रदान किए गए कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को निहित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है और यह कि सुपीरियर ज्यूडिशियल का सदस्य है सेवा आर. 12 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से वरिष्ठता का दावा करने की हकदार है।

24. ऊपर दर्ज कारणों से यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

एसएस संधवालिया, जे.

एस.एस. संधावालिया, जे__मैं सहमत हूं।

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे.-मैं भी सहमत हूं।

ए.एस. बैंस, जे.-मैं सहमत हूं।

हरबंस लाई, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा